(नियम 15)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

गंगादेवी बनाम रामचरन

किस्म मुकदमा दावा नं. 92/16 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
29/11/19	पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण हाजिर। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस वकील वादीगण पर गौर किया। तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आर०टी० एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी सं० 1 इस आशय के साथ पेश किया कि विवादित आराजी ख०नं० 475/1-07, 476/1-03, 478/0-03, 494/2-19 एवं 484/3-18 कुल किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा स्थित मौजे ग्राम गंगा[illegible] पुरा तहसील राजाखेड़ा वादीगण के पूर्वजों की संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है। प्रतिवादी सं० 1 रामचरन एवं उसके भाई छुरेलाल दोनों का विवादित आराजियात में संयुक्त रूप 1/2 हिस्सा है। जिस पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। प्रतिवादी सं० 1 रामचरन वादीगण का पति तथा वादी स० 2 व 3 का पिता है। वादीगण का विवादित आराजी में संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होने के कारण अन्तरकानूनन हकूक प्राप्त है। प्रतिवादी स० 1 गलत संगत में पड़कर शराबी जुआरी हो गया है तथा वादीगण का भरण पोषण नहीं कर रहा है तथा विवादित आराजी को विक्रय करने पर आमादा है तथा भूमि का बेचान की धमकी अदा करने से पूर्व ही है इसलिए अपने हकूक की रक्षा के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि का रहन, बेचान न करने के लिए पाबन्द करने के लिए यह दावा पेश किया गया है। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं० 1 न्यायालय में हाजिर हुआ उसकी ओर से कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया। बाद में न्यायालय में उपस्थित [illegible]	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	न आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी सं. 2037-48 पेश की गयी तथा मौखिक साक्ष्य में ब्यान गंगादेवी P.W.1 कराया गया। बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनी गयी। उनके द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराया तथा न्याय हित में दावा डिक्री करने एवं प्रतिवादी सं. 1 को पाबंद करने बाबत निवेदन किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह दावा केवल घोषणा का नहीं है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा का दावा है। स्थाई निषेधाज्ञा का दावा केवल एक अभिलेखित खातेदार काश्तकार ही ला सकता है। वादीगण खातेदार काश्तकार रिकॉर्ड नहीं है इसलिए वह खातेदार काश्तकार के विरुद्ध दावा कानूनन नहीं ला सकते हैं इसलिए यह दावा विधि विरुद्ध है एवं चलने योग्य नहीं है अतः दावा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली कैफियत तैयार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 29/11/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)	29/11/19